न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

आर0एम0ए0 वाद सं0–07 / 2007

लुशीला मराण्डी
बनाम
संझली मुर्मू एवं अन्य।

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
25.10.2017	**आदेश** यह अपील वाद विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा दिनांक 24.10.2007 को पी0ए0 वाद सं0–16 / 2006–07 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलार्थी की ओर से 25.07.2013 से कोई पैरवी नहीं है। दिनांक 05.09.2017 को पुनः अंतिम सूचना निर्गत किया गया। नोटिस में ग्राम पंचायत शहरकोल, पाकुड़ के मुखिया द्वारा नोटिस में लिखित दिया गया है कि सुशीला मराण्डी, ग्राम–गोकुलपुर में 15–20 वर्षो से नहीं रह रही है। इनके ओर से पूर्व में निम्नरूपेण लिखित बहस दाखिल किया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड के द्वारा मौजा–गोकुलपुर, अंचल–पाकुड़ के प्रधान की नियुक्ति संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा–6 के तहत अनुसूची V के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किया गया है। मौजा– गोकुलपुर के अन्तिम प्रधान फाईल उर्फ राफायल हांसदा थे। पूर्व प्रधान फाइल उर्फ राफायल हांसदा की मृत्यु के बाद अपीलार्थी एवं उत्तरार्थी नं0–1 एवं 2 के द्वारा प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया गया था। अपीलार्थी पूर्व प्रधान का प्रथम् पत्नी, उत्तरार्थी नं0–1 द्वितीय पत्नी एवं उत्तरार्थी नं0–2 पूर्व प्रधान राफायल हांसदा का भाई का पुत्र है। पूर्व प्रधान स्व0 फाइल उर्फ राफायल हांसदा एवं अपीलार्थी किश्चियन है दोनों की शादी किश्चियन रीति रिवाज के तहत हुआ है। अपीलार्थी को अलग कर देना यह नहीं कहा जा सकता है कि उसे छोड़ (divorce) दे दिया गया है। अपीलार्थी पूर्व प्रधान का विधिवत विवाहित पत्नी है। इसलिए प्रधान पद पर नियुक्ति का अग्राधिकार उनका है। इनका यह भी कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन एवं मौजा गोकुलपुर के चौकीदार मंगल सोरेन के शपथ पत्र के आधार पर उत्तरार्थी नं0–1 संझली मुर्मू को प्रधान नियुक्त किया गया है, जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के शिड्यूल–V का उलंघन है। रैयतों का कोई सहमति नहीं लिया गया है। इनके	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	

द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को गलत बताते हुए उसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी नं0 1 के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि अंचल अधिकारी, पाकुड़ के प्रतिवेदन में अपीलार्थी लुसिला मराण्डी पूर्व प्रधान स्व0 फाइल उर्फ राफायल हांसदा का प्रथम पत्नी है। उनके द्वारा प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु वंशानुगत आधार पर दावा किया गया है। अपीलार्थी क्रिश्चियन है एवं पूर्व प्रधान स्व0 फाइल उर्फ राफायल हांसदा संथाल है। इसलिए उन दोनों का विवाह वैध नहीं है। अपीलार्थी गोकुलपुर गांव में नहीं रहती है। वे अपने मां के घर पर रहती है। गोकुलपुर के कुछ रैयत अपीलार्थी के पक्ष में सहमति दिए है। उत्तरार्थी नं0-2 सुरज हांसदा के संबंध में कहा गया कि अंचल अधिकारी, पाकुड़ के प्रतिवेदन में वे सही दावेदार नहीं हैं। पूर्व प्रधान के मृत्यु के बाद उत्तरवादी संझली मुर्मू के द्वारा विधिवत प्रधान के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया गया था। अंचल अधिकारी के द्वारा जांच के दौरान किसी प्रकार का कोई आपत्ति इनके विरूद्ध नहीं दी गई थी। जांच प्रतिवेदन में प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई है। चौकीदार मंगल सोरेन के द्वारा दिए गए शपथ पत्र में अपीलार्थी लुशीला से पूर्व प्रधान फाईल उर्फ राफायल हांसदा से संबंध विच्छेद होने के कारण अपना पति का घर छोड़कर अन्यत्र जाने का उल्लेख है। पूर्व प्रधान फाइल उर्फ राफायल हांसदा के द्वारा दूसरी शादी संझली मुर्मू के साथ संथाल रीति--रिवाज के अनुसार हुई थी। अपीलार्थी कुछ वर्षो से गोकुलपुर गांव से बाहर रहती है। उत्तरार्थी नं0--1 को मौजा के रैयतों का सहमति एवं अंचल अधिकारी, पाकुड़ का जांच प्रतिवेदन एवं वैधिक दावेदार होने के कारण प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है। इनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को सही करार देते हुए अपीलार्थी का अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी नं0--1 के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध अपीलार्थी द्वारा पूर्व में दाखिल लिखित बहस के साथ--साथ अन्य कागजातों, अंचल अधिकारी, पाकुड़ का जांच प्रतिवेदन, चौकीदार द्वारा समर्पित शपथ--पत्र पंचायत के मुखिया एवं वार्ड सदस्यों के साथ--साथ ग्रामिणों का प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हुआ कि अपीलार्थी पूर्व प्रधान की प्रथम् पत्नी हैं जबकि उत्तरवादी नं0--1

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	द्वितीय पत्नी है। पूर्व प्रधान से संबंध अच्छी नहीं रहने के कारण अपीलार्थी ग्राम गोकुलपुर छोड़कर जीवनपुर में निवास करने लगी। वे 15–20 वर्षो से प्रश्नागत मौजा में नहीं रह रही है। सम्प्रति वे कोलकाता में रह रही है, जो S.P.T.(Supplementary) Rules, 1950 के अनुसूची V में निहित इस प्रावधान के विपरीत है कि "The headman must be a resident of the village or his permanent home must be within one mile of the village" निम्न न्यायालय द्वारा 16 आना रैयतों की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही आदेश पारित किया गया था। अतः इस संबंध में अपीलार्थी के आपत्ति को निराधार पाते हुए निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य या सबूत दाखिल नहीं किया गया जो यह प्रमाणित कर सके कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दोषपूर्ण है। यद्यपि कि अपीलार्थी पूर्व प्रधान की प्रथम् व्याहिता पत्नी है, जिससे पूर्व प्रधान का संबंध खराब होने की स्थिति में वे प्रश्नागत ग्राम को छोड़कर पहले जीवनपुर में रहने लगी एवं वर्त्तमान में कोलकाता में रह रही है। अतः सभी तथ्यों पर सम्यक विचार करने पर अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील आवेदन को खारिज करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अक्षुण्ण रखा जाता है। आदेश से सभी सम्बद्ध पक्षों को अवगत करावें। लेखापित एवं सत्यापित। (हस्ताक्षर) 25/10/17 उ पा यु क्त, पाकुड़। (हस्ताक्षर) 25/10/17 उ पा यु क्त, पाकुड़।	Seen 25/10/17 1.11.17 आदेश ज्ञापांक 100/डी० सी० दिनांक 25/10/17 को पारित आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख का प्रेषण।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.16 17:39:25 +05:30
Location: 192.168.1.101

Scanned with CamScanner